8 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम की योजनाएं।
Schemes of H.P. Scheduled Castes/Scheduled Tribes Development Corporation

उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके कारोबार को बढाने तथा अन्य स्वंय रोजगार धन्धे स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण तथा ऋण उपलब्ध करवाना।

ऋण योजनाएं

(i) स्वयं रोजगार योजना

18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 17,359/–रु0 तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 18030/–रु0 से कम हो, को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैः–

- 50,000/–रु0 तक की परियोजनाओं जैसे डेरी फार्मिंग, कृषि उपकरण, लघु सिंचाई, रेडीमेड गार्मेन्टस, शू मेकिंग इत्यादि, को बैकों के माध्यम से 4 प्रतिशत व्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।

- इसके अतिरिक्त परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/–रु0 प्रति परिवार पूंजी अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

(ii) हिम स्वावलम्बन योजना

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 55,000/–रु से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 40,000/–रु0 से अधिक न हो को निम्नलिखित दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैः

- 5.00 लाख रु0 तक की परियोजनाऐं स्थापित कर बडे रोजगार चलाने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम के माध्यम से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर।
- 5.00 लाख से 30.00 लाख रु0 की परियोजनाओं हेतु 8 प्रतिशत ब्याज दर पर।

(iii) ब्याज मुक्त ऋण

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र एवं छात्राओं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/–रु0 से अधिक न हो, को मैट्रिक के बाद व्यवसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स जैसे जे0बी0टी0, नर्सिंग, होटल मैनेजमैंट, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0, इंजिनियरिंग, एल0एल0बी0 तथा बी0एड0 हेतु अधिकतम 75,000/–रु0 ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है।

(iv) दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं जिनकी वार्षिक आय 22,000/–रु0 से कम हो, को शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को 500/–रु0 प्रति माह अपने जिले में तथा 750/–रु0 प्रति माह जिले से बाहर प्रशिक्षण लेने के दौरान वजीफा दिया जाता है।

(v) हस्तशिल्प विकास योजना

परम्परागत व्यवसायों जैसे शाल बुनाई, शु मैकिंग छाज बनाना इत्यादि में लगे कारीगरों को व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने संगठन/सस्थाएं बना कर 5000/–रु0 प्रति कारीगर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है।

(vi) लघु विक्रय केन्द्र (शाप/शैड)

शाप/शैड के निर्माण हेतु स्थानीय स्वायतशासी निकायों, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों को 50,000/–रु0 तथा दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों के लिए 60,000/–रु0 प्रति दुकान निर्माण हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर निगम ऋण उपलब्ध करवाता है। यह दुकाने रियासती किराया दरों पर अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के परिवारों को आबंटित की जाती है।

(vii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना

सफाई कर्मचारियों को परिवहन क्षेत्र जैसे मारुति वैन, महिन्द्रा जीप, इत्यादि खरीदने हेतु 5.00 लाख रु0 तक 6 प्रतिशत तथा 5.00 लाख रु0 से अधिक 8 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपरोक्त निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते है।

प्रकिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया हो, सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम सोलन, सम्बन्धित निगम के जिला के जिला प्रबन्धक।